नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2022

सूचना

कमांक एफ 3-24/2022/18-5 एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत पीथमपुर निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2035 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरण का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाइट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा-

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, द्वितीय तल, एनेक्सी-2 मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. कलेक्टर जिला इन्दौर
4. कलेक्टर, जिला धार
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पीथमपुर, जिला धार
6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, बेटमा, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर
7. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर

|| उपांतरणों का विवरण ||

स.क्रं.	प्रस्तावित उपांतरण	रिमार्क
1	2	3
1	ग्राम सेजवाया में स्थित वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मिश्रित उपयोग के स्थान पर औद्योगिक किया जाना प्रस्तावित।	मानचित्र कमांक-1 अनुसार दर्शाया गया
2	ग्राम बंदीपुरा में प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग के स्थान पर मानचित्र आवासीय उपयोग किया जाना प्रस्तावित ।	मानचित्र कमांक-2 अनुसार दर्शाया गया
3	ग्राम मांचल एवं जामोदी में विशेषीकृत वाणिज्यिक / मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किया जाना प्रस्तावित।	मानचित्र में क्रमांक-3,4 अनुसार दर्शाया गया

4	ग्राम भौंडिया में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रस्ताव अनुसार मिश्रित उपयोग किया जाना प्रस्तावित ।	मानचित्र में क्रमांक-5 अनुसार दर्शाया गया
5	ग्राम पीथमपुर में स्थित वर्तमान औद्योगिक उपयोग के स्थान पर आवासीय उपयोग किया जाना प्रस्तावित।	मानचित्र में क्रमांक-6 अनुसार दर्शाया गया
6	ग्राम टीही, अकोलिया-पीथमपुर एवं गुणावद में प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन तथा निवेश क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित रेल्वे लाईन का रेलवे विभाग से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार उपांतरण कर शेष भूमि का भूमि उपयोग संस्पर्शी भूमि उपयोग के आधार पर किया जाना प्रस्तावित ।	मानचित्र में क्रमांक-7,8,9 अनुसार दर्शाया गया
7	निवेश क्षेत्र में स्थित समस्त ग्रामीण मार्गों की चौड़ाई 18 मीटर प्रस्तावित करते हुये मानचित्र पर दर्शित कर किया है। जाना प्रस्तावित।	मानचित्र में दर्शित है
8	ग्राम भैंसलाय तहसील राऊ व जिला इन्दौर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1,7/2, 25/2, 26/1, 26/2 एवं 29 कुल रकबा 12.204 हेक्टेयर भूमि का यातायात (परिवहन) उपयोग के स्थान पर प्रारूप विकास योजना में दर्शित इकोनॉमिक कॉरिडोर रखते हुए शेष भाग पर आवासीय प्रस्तावित किया जाना।	मानचित्र क्रमांक अ में दर्शाया गया है।

उक्त उपांतरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाश के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किया जा सकता है, समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.